कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0ब0–66/2018–268 दिनांक :28/3/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

निदेशक, वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय,

चाईबासा/

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना "Forest Fire Prevention & Management" योजना (60:40) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत प्रशिक्षण मद में कुल **रू0 7.500 लाख (सात लाख पचास हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) I

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–55/2018–65/स्वी0 व0प0 दिनांक 26.03.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–55/2018–116 आ0 व0प0 दिनांक 26.03.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष– 64 फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्सन एवं मैनेजमैंट (60:40) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में तृतीय अनुपूरक आगणन के पश्चात निर्धारित बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 7.500 लाख (सात लाख पचास हजार रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

(क) केन्द्रांश (60%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
प्रशिक्षण	19C240601789640335	4.500
कुल :–		**4.500**

(ख) राज्यांश (40%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
प्रशिक्षण	19S240601789640335	3.000
कुल :–		**3.000**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2**

पर तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न वन प्रमंडलों को Fire tracing along roads/ Maintenance of existing fire lines/ Purchase of fire fighting equipments कार्य हेतु पूर्व में उप–आवंटित राशि का प्रमंडलवार भौतिक लक्ष्य अनुलग्नक–3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधितों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

4 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

5. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, विमुक्त राशि एवं अधिरोपित शर्त्तों के अनुरुप ही सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड से उप–आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जायेगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत भारित व्यय को वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस हेतु निर्धारित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत आवंटित राशि तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से विमुक्त राशि के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधनों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. योजना का कार्यान्वयन संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से करवाया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान DBT योजना के अन्तर्गत केवल बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में Cash भुगतान नहीं किये जायेंगे।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–66 / 2018**–268 दिनांक– 28/3/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर / मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–66 / 2018**–268 दिनांक– 28/3/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जानेवाली केन्द्र प्रायोजित योजना "Forest Fire Prevention & Management Scheme" योजना (60:40) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में उप–आवंटित वित्तीय लक्ष्य

राशि (लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	प्रशिक्षण		
		केन्द्रांश 60%	राज्यांश 40%	कुल
i	ii	iii	iv	v
1	निदेशक, वनपाल–सह–वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, चाईबासा	4.500	3.000	7.500
कुल योग		4.500	3.000	7.500

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-66/2018/268

दिनांक - 28-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789640335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 64 - फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्सन एंड मैनेजमेंट 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : FOREST FIRE PREVENTION AND MANAGEMENT(1710) Centeral Scheme : FOREST FIRE PREVENTION AND MANAGEMENT SCHEME(0257)	106900	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	300,000.00 रुपये तीन लाख
2	C 19 240601789640335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 64 - फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्सन एंड मैनेजमेंट 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय **Centeral Scheme** State Scheme : FOREST FIRE PREVENTION AND MANAGEMENT(1710) Centeral Scheme : FOREST FIRE PREVENTION AND MANAGEMENT SCHEME(0257)	106904	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	450,000.00 रुपये चार लाख पचास हजार

योग: 750,000.00

क्रमिक योग: रुपये सात लाख पचास हजार

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

Run Date: 28/3/2019